न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 69/2020
GCMS NO. : 2020/00111

-: प्रार्थीगण :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

1. जोगाराम पुत्र गीगाराम जाति- मेघवाल, निवासी- ग्राम गरनिया, तहसील-जैतारण, जिला पाली।

बनाम

1. मांगूड़ीदेवी बेवा रियाराम
2. भंवरूराम पुत्र गीगाराम
3. मदनलाल पुत्र गीगाराम
4. बदनाराम पुत्र गीगाराम
5. कोयली पुत्री हणूत
6. मीरा पत्नी भंवरलाल
7. गुटकी पुत्री जोगाराम
8. सीता पुत्री जोगाराम
9. मंगलाराम पुत्र गीगाराम
10. मदनलाल पुत्र गीगाराम
11. भंवरी बेवा राजूराम
12. सूरमादेवी पुत्री सत्यनारायण
13. भावना पुत्री सत्यनारायण
14. चेतनादेवी पत्नी सत्यनारायण
15. गोपाराम पुत्र राजूराम
16. सांवरलाल पुत्र राजूराम
17. हडमान पुत्र राजूराम
    जाति- मेघवाल निवासीगण- गरनिया, तहसील जैतारण जिला पाली राज0।
18. तहसीलदार जैतारण, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

तारीख रजूः-24.06.2020

उपस्थितः-

1. श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

दिनॉकः-31/08/2022

-:: निर्णय ::-

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थनापत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी [illegible] बाबत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे [illegible] की कृषि भूमि सरहद मौजा गरनिया पटवार हल्का गरनिया भू अभिलेख [illegible] तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे [illegible] की कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 14-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल स्थित है। चालू जमाबन्दी संवत 2071-2074 व नक्शा ट्रैस की प्रमाणित प्रति प्रार्थनापत्र के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पेश है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के साथ एक नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ते बाबत् व उक्त भूमि की मौके की वास्तविक स्थिति बाबत् पेश किया है। मौके पर जो रास्ता शुरू सये लेकर आज तक विद्यमान है उसको नजरी नक्शे मे लाल रंग से दर्शाया गया है। जो रास्ता 60 फीट लम्बा व 15 फीट चौड़ा मौके पर स्थित है। प्रार्थी अपने हक हिस्से व खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में आने जाने हेतू उपयोग उपभोग में अपने पूर्वजों से काम में लेता आ रहा है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने व ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने के लिये यही एक मात्र रास्ता है। उक्त रास्ता मौके पर तो पक्षकारान् के पूर्वजों के समय से आज तक विद्यमान है लेकिन राजस्व रेकर्ड में उक्त रास्ता का कोई इन्द्राज नहीं है। जिस कारण अप्रार्थीगण जो कि संख्या व बल मे अधिक है। नाजायज रूप से उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग में लेने में प्रार्थी को आये दिन रोक देते है तथा प्रार्थी को डराते धमकाते है। इसलिये उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाने व प्रार्थी द्वारा काम में लेने, उपयोग उपभोग करने हेतू यह प्रार्थनापत्र. श्रीमान् की सेवा में पेश है। नजरी नक्शा में दर्शाये लाल रंग से रास्ते की भूमि मौके पर अप्रार्थीगण संख्या 1 मांगूड़ी देवी बेवा सीयाराम के हक हिस्से में ही आती है। अन्य अप्रार्थीगण केवल मात्र उक्त कृषि भूमि के सह हिस्सेदार होने से फोरमल पक्षकार बनाये गये है। अप्रार्थीगण के हक हिस्से की कोई भूमि रास्ते की भूमि में नहीं आती है। प्रार्थी शुरू से ही प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शाये रास्ते मार्क लाल रंग से ही अपने हक हिस्से की भूमि में आता जाता है तथा बैलगाड़ी ट्रैक्टर से अपने हक हिस्से खातेदारी भूमि की बुवाई कटाई व फसल से सम्बन्धित अन्य तमाम कार्य करने में बिना किसी रोकटोक के उक्त रास्ते को काम में लेता है। लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण बार बार अड़चन उत्पन्न करते है। रास्ते की भूमि पर कांटै व पत्थर डाल देते है जिससे प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिये कठिनाई पैदा होती है तथा अप्रार्थीगण उक्त रास्ते को पत्थर व कांटे डालकर अवरूद्ध कर देते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार समझाईश की लेकिन व अपनी हठधर्मिता पर अडे रहते है एवं ऐलानिया धमकीया देते है कि हम तुझे इस रास्ते से आने जाने नहीं देंगे एवं उक्त रास्ते को हमेशा के लिये बंद कर देंगे। अभी दिनांक 04.06.2020 को प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि में उक्त रास्ते से जाने लगा तो अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर उक्त रास्ते में पत्थर एवं कांटे डालकर रास्ते को रोक दिया तब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को खूब समझाया एवं कहा कि इस रास्ते की भूमि के एवज में यदि आपकी जमीन जाती है तो नियमानुसार आपको रूपये अद[illegible] और आप इस रास्ते को मत रोकों तथा रास्ता खोल दो लेकिन अप्रार्थी[illegible] माने और ज्यादा उग्र हो गये एवं प्रार्थी को ऐलानिया धमकीया [illegible] इस रास्ते में कदम मत रखना वरना अन्जाम बुरा होगा। अप्रार्थीगण संख्या [illegible] शक्ति में अधिक धनवान व्यक्ति है तथा प्रार्थी कमजोर वृद्ध एवं अकेला व्यक्ति है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अपने नजरी नक्शे में दर्शाये लाल रंग के रास्ते को खुलवाने व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करवाने एवं प्रार्थी द्वारा आने जाने हेतू काम में लेने व उपयोग उपभोग करने के लिये यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् की सेवा में पेश हैं। बिनाय वाद ग्राम गरनिया में दिनांक 04.06.2020 को पैदा हुआ जब अप्रार्थीगण द्वारा रास्ते को बंद कर दिया और प्रार्थी को रास्ते का उपयोग उपभोग करनें एवं आने जाने के लिये मना कर दिया तब पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4, 6 से 10, 13 व 17 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थीगण संख्या 1, 11, 12, 14 से 16 ओर से वकालतनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण संख्या 1, 11, 12, 14 से 16 को जवाब प्रार्थनापत्र पेश करनें का अनेकानेक एवं समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रार्थनापत्र पेश नहीं करनें से जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया जाता है। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष की सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन करते हुए पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, भू. अभिलेख निरीक्षक आगेवा की तथ्यात्मक रिपोर्ट आदि का अध्ययन करते हुए अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का बिन्दूवार विवेचन एवं निणर्यन निम्नानुसार है–

1. प्रार्थी खातेदार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया हैं कि उसकी ग्राम गरनिया पटवार हल्का गरनिया की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 58 जो विभाजन उपरांत वर्तमान में खसरा नम्बर 58/2 है, तक पहुंच के लिये खसरा संख्या 58 एवं 58/1की खातेदारी आराजी में से 60 फुट लम्बा एवं 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रदान करने की मांग की है। अतः नियमानुसार रास्ता प्रदान कर उसका तरमीम करावें।

2. अप्रार्थीगण संख्या 1, 11, 12, 14 से 16 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये लेकिन कोई जवाबप्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करनें से जवाब प्रार्थनापत्र बन्द किया गया।

3. भू अभिलेख निरीक्षक बेड़कलां द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादी जोगाराम की आराजी 58/2 है। जिस पर मौके पर वादी काबिज है। उक्त आराजी तक पहुंचने हेतू वादी के पास वर्तमान में कोई विकल्प नहीं है। वादी द्वारा चाहा गया रास्ता की मांग आंत्यतिक आवश्यकता की है। केवल सुविधा के लिये रास्ते की मांग नहीं की गई। वादी की आराजी खसरा नम्बरा 58/2 में पहुंचने हेतू तीन विकल्प उपलब्ध जो निम्न प्रकार से है :–

(1) मार्क ए बी के मध्य है जो खसरा नम्बर 58/1 खातेदारी, खसरा नम्बर 58 खातेदारी, खसरा नम्बर 61 खातेदारी एवं खसरा नम्बर 53 गैरमुमकिन गोचर में से है।

(2) मार्क सी डी के मध्य है जो खसरा नम्बर 58/1 खातेदारी, खसरा नम्बर 58 खातेदारी एवं खसरा नम्बर 53 गै0मु0 गोचर में से है। विकल्प में खसरा नम्बर 53 गै0मु0 गोचर दो भागों में विभक्त होगा। अतः न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प (1) रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

3. रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार है:-

251- क "अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है- और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(II)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(III)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि [illegible] 251ए में यह आज्ञापक विधिक आवश्यकता है कि रास्ता इसी [illegible] सकता है, जबकि उसकी आत्यंतिक आवश्यकता हो साथ [illegible] रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

4. पत्रावली के अवलोकन एवं प्रार्थी के प्रार्थना[illegible] तथा भू अभिलेख निरीक्षक बेडकलां के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 58 जो विभाजन उपरांत वर्तमान में खसरा नम्बर 58/2 है, तक पहुंच के लिये खसरा संख्या 58 एवं 58/1की खातेदारी आराजी में से 60 फुट लम्बा एवं 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रदान करने की मांग की है लेकिन खसरा संख्या 58 व 58/1 की आराजी किसी भी अभिलिखित रास्ता से नहीं लगती है बल्कि खसरा संख्या 58 व 58/1 आराजी खसरा नम्बर 53 किस्म गोचर से लगती है। इसी प्रकार भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित विकल्प संख्या एक ए से बी भी खसरा संख्या 61, 58 व 58/1 की खातेदारी आराजी एवं खसरा नम्बर 53 किस्म गोचर भूमि से प्रस्तावित किया है। प्रार्थी द्वारा केवल खातेदारी भूमि 58 व 58/1 में से रास्ता चाहा है लेकिन कानूनन किसी भी जोत तक पहुंच के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता से जोत की न्यूनतम व निकटतम विकल्प के रूप में प्रस्तावित भूमि को रास्ते के रूप में दर्ज किया जा सकता है। लेकिन खसरा नम्बर 58 व 58/1 की भूमि किसी भी अभिलिखित रास्ता से नहीं लगती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र कानूनन स्वीकार योग्य व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज़ किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 31/08/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:54:58 IST
Reason: SelfAttested